अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–33/2023/वा.क.(आब.)/पांच (37) .—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ.) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा **छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996** में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

1/ **उक्त नियमों में** –

(1) **नियम 3 के** पश्चात् **नवीन नियम 3–क** अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्–

"**3–क** कोई एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारक, यदि अनुज्ञप्त परिसर में देशी मदिरा की बोतल भराई तथा भण्डारण कर प्रदाय करने की अपेक्षा करता है तो वह अनुज्ञप्त परिसर में छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 (यथासंशोधित) के प्रावधानों का सम्यक पालन पश्चात्, कर सकेगा। इस हेतु पृथकतः सुसंगत अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। देशी मदिरा निर्माण, भण्डारण तथा प्रदाय हेतु निर्धारित परिक्षेत्र विदेशी मदिरा निर्माण, भण्डारण तथा प्रदाय के परिक्षेत्र से पूर्णतः पृथक से होगा अर्थात् विदेशी मदिरा हेतु निर्धारित परिक्षेत्र का उपयोग देशी मदिरा के निर्माण, भण्डारण एवं प्रदाय हेतु नहीं किया जा सकेगा।

(2) **नियम 3–क** के पश्चात् **नवीन नियम 3–ख** अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात् –

"**3–ख** कोई एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारक, प्रदेश के बाहर स्थापित/संचालित ऐसी आसवनी जो परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन करते हों के किसी नामपत्र (ब्राण्ड/लेबल), का अनुज्ञप्त परिसर में निर्माण करना चाहता हो, तो वह अपने अनुज्ञप्त परिसर में छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 (यथासंशोधित) के सम्यक् पालन पश्चात् कर सकेगा। इस हेतु पृथकतः सुसंगत अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। विशेषाधिकार व्यवस्था के तहत् देशी मदिरा निर्माण, भण्डारण तथा प्रदाय हेतु परिक्षेत्र, सी.एस.1–ख एवं विदेशी मदिरा निर्माण, भण्डारण तथा प्रदाय के परिक्षेत्र से पूर्णतः पृथक से होगा अर्थात् सी.एस.1–ख एवं विदेशी मदिरा हेतु निर्धारित परिक्षेत्र का उपयोग देशी मदिरा के निर्माण, भण्डारण एवं प्रदाय हेतु नहीं किया जा सकेगा।"

2/ उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कावरे, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.

Refresh